संख्या- /2019/655/71-2-2019-आरएम-9/2011

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान के निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-27/2019/529/71-2-2019-आरएम-9/2011, दिनांक 09 मार्च 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक के निर्माण कार्यो हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 38252.42 लाख (तीन अरब बयासी करोड बावन लाख बयालिस हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के एकेडमिक ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-25/2015/328/71-2-15-आर0एम0-9/2011 दिनांक 04 फरवरी, 2015 द्वारा परियोजना की मूल लागत रू0 36389.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मूल लागत के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 34246.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	25/2015/328/71-2-15-आर0एम0-9/2011 दिनांक 04-3-2015	3020.59
2	35/2015/1093/71-2-15-आर0एम0-9/2011 दिनांक 25-3-2015	634.32
3	21/2016/250/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 23-2-2016	1975.00
4	22/2016/847/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 23-3-2016	525.00
5	47/2016/1410/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 30-3-2016	1608.92
6	48/2016/1411/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 30-3-2016	337.88
7	74/2016/2331/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 03-6-2016	5336.69
8	75/2016/2332/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 03-6-2016	1117.20
9	118/2016/4050/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 30-9-2016	13115.78
10	119/2016/4050/71-2-16-आर0एम0-9/2011 दिनांक 30-9-2016	1439.82
11	38/2018/860/71-2-18-आर0एम0-9/2011 दिनांक 08-3-2018	2484.42
12	39/2018/859/71-2-18-आर0एम0-9/2011 दिनांक 08-3-2018	2651.25
	योग-	**34246.87**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकेडमिक ब्लाक के निर्माण कार्यो हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 38252.42 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष रू0 2092.93 लाख +जी0एस0टी0 हेतु रू0 550.25 (जी0एस0टी0) अर्थात कुल रू0 2643.18 लाख (रूपया छब्बीस करोड तैतालीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

1) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर, बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।
3) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4) प्रायोजनान्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कराये गये/कराये जा रहे कार्यो की लागत में नियमानुसार जी0एस0टी0 अनुमन्य है। अतः पावर कारपोरेशन के कार्यो के संदर्भ में अलग से जी0एस0टी0 अनुमन्य नहीं की जायेगी।

5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।

6) प्रयोजना हेतु उपरोक्तानुसार निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7) संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

9) शासनादेश संख्या-524/71-2-19-आरएम-09/2011 दिनांक 09 मार्च, 2019 के क्रम में मै0 मुकेश एण्ड एसोसिएट, सलेम, तमिलनाडू एवं आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी से गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी आडिट कराकर, गुणवत्ता रिर्पोट शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

10) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-32/2019/655(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in